रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-आर.जे.-अ.-24012026-269579
CG-RJ-E-24012026-269579

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 344] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 24, 2026/माघ 4, 1947
No. 344] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 24, 2026/MAGHA 4, 1947

रेल मंत्रालय

(पश्चिम मध्य रेलवे)

अधिसूचना

कोटा, 23 जनवरी, 2026

का.आ. 372(अ).— केंद्रीय सरकार, रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 की धारा 2 के खंड (7क) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारिख से, नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (4) में उल्लिखित उपखंड स्तम्भ (5) उल्लेखित जिलों के सम्बंध में राजस्थान राज्य में विशेष रेल परियोजना के स्तम्भ (2) के लिए भूमि अधिग्रहण के निष्पादन, अनुक्षरण, प्रबंधन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिये स्तम्भ (3) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे अधिकारी के रूप में कृत्यों का निर्वहन करने के लिये सक्षम अधिकारी के रूप में प्रधिक्रित किया जाता है।

सारणी

क्रम सं	परियोजना का नाम	सक्षम अधिकारी	उपखंड	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	कोटा- रुठियाई सेक्शन में बारां जिले में समपार संख्या 71 पर रोड ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य|	उपखण्ड अधिकारी, छबड़ा	छबड़ा	बारां
2	कोटा-- रुठियाई सेक्शन में बारां जिले में समपार संख्या 72 पर रोड ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य|	उपखण्ड अधिकारी, छबड़ा	छबड़ा	बारां

[कम्पयूटर न. 300102 फा. सं. ई.-पमरे-केटीटीसी0इंजसी (एमआईसीएस)/5/2025-ओ/ओ उप.मुख्य इंजी/सी- II/कोटा]

पंकज सोईन, मुख्य परियोजना प्रबंधक, निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS

(West Central Railway)

NOTIFICATION

Kota, the 23rd January, 2026

S.O. 372(E).— In exercise of the powers conferred by clause (7A) of Section 2 of the Railways Amendment) Act-2008, the Central Government hereby authorizes the officers nominated in column (3) of the Table below as "Competent Authority" to perform the function as such authority under the said act with effect from the date of publication of this notification in the official Gazette in respect of the Special Railway Projects in the State of Rajasthan relating to Sub- Divisions mentioned in Column (4) Districts mentioned in Column (5) of the said table for the purpose of execution, maintenance, management and operation of land acquisition in such Railway Project.

TABLE

S.No.	Name of Project	Competent Authority	Subdivision	District
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kota – Ruthiyai section in Baran District Construction of Road Over Bridge on LC No. 71	Sub Divisional Magistrate, Chhabra	Chhabra	Baran
2	Kota – Ruthiyai section in Baran District Construction of Road Over Bridge on LC No. 72	Sub Divisional Magistrate, Chhabra	Chhabra	Baran

[Computer No. 300102 F. No. E- WCR-KTTC0ENGC(MICS)/5/2025-O/o DY.CE/C-II/KOTA]

PANKAN SOIN, Chief Project Manager, Construction

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2026.01.24 17:22:26 +05'30'